राष्ट्रीय लेखापरीक्षा संघ के अधिकारियों के साथ उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 23.11.2016 को अपराह्न 3:00 बजे एजेंडा बैठक पर चर्चा का रिकार्ड नोट

1. 23.11.2016 को अपराह्न 3:00 बजे कमरा सं. 510 में राष्ट्रीय लेखापरीक्षा संघ के अधिकारियों के साथ उप नियंत्रक-महोलखापरीक्षक द्वारा एक एजेंडा बैठक आयोजित किया गया। सहभागियों की सूची, जो सभा में उपस्थित थे, अनुलग्नक क में हैं।

2. प्रारंभ में, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राष्ट्रीय लेखापरीक्षा संघ के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और आशा जताई कि आगामी मंत्रणाएं सार्थक और उपयोगी होंगी।

3. उसके बाद एजेंडा मदों पर चर्चा प्रारंभ हुई।

अनुलग्नक-क

23.11.2016 को 3:00 बजे उपराह्न को राष्ट्रीय लेखापरीक्षा महासंघ के अधिकारियों के साथ उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित सभा में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

डा. पी. मुखर्जी	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
श्री एस. आर. धल	महानिदेशक (परीक्षा)
श्री खालिद बिन जमाल	प्रधान निदेशक (स्टॉफ)
श्री रंजीत सिंह	सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
श्री सुभान उल्लाह	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जेसीएम)
श्री अमल कुमार दास	अध्यक्ष (महासंघ)
श्री रवि शंकर	उपाध्यक्ष (महासंघ)
श्री एल एस सुजीत कुमार	महासचिव (महासंघ)
श्री एन शिव कुमार	अपर महासचिव (महासंघ)
श्री अजय दीप गुलाटी	सहायक महासचिव (महासंघ)

मांग सं. 1. संवर्ग पुनर्गणन- आईएएंडएडी में विस्तृत संवर्ग पुनर्गणन

i. **6 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स.प्र.अ. हेतु समयबद्ध पदोन्नति अनुमत करना।**

ii. **ग्रुप 'बी' अधिकारियों हेतु पदोन्नति के अवसर बढ़ाना**

विवरण

आईएएंडएडी में किये गये ग्रुप 'बी' 'सी' और 'डी' में हाल ही में की गई संवर्ग पुन: संरचना 1984 -87 के दौरान हुई थी। तब से कार्यभार विभिन्न प्रकार से बढ़ चुका है, परन्तु विभाग में श्रमबल बढ़ाने की अपेक्षा यह एक तिहाई तक घट गया है। चूंकि ग्रुप 'बी' में स्थिरता कई गुणा बढ़ गई है, ग्रुप 'सी' संवर्ग भी स्टाफ की कमी झेल रहा है । अधिकतर कार्यालयों में एमटीएस से लेकर स.प्र.अ. संवर्ग तक पूरे स्टाफ की कमी है। इससे कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

राष्ट्रीय लेखापरीक्षण संघ 2006 से आईएएंडएडी में संवर्ग पुनर्गठन हेतु बार-बार मांग कर रहा है। हमने भी रिक्तियों पर भर्ती करने की मांग की थी। हमारी उचित मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सीएजी ने वर्ष 2008 में ग्रुप 'बी' और 'सी' संवर्ग की विस्तृत संवर्ग समीक्षा करने के निदेश दिये । 2011-12 से रिक्तियों के लिए भर्ती भी आरंभ कर दी।

निचले संवर्ग में भर्ती का पुनर्गठन, गैर आईएएंडएडी ग्रुप 'ए' सेवा संवर्ग /लेखापरीक्षण मनैजर का सृजन, वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ वरिष्ठ लेखाकार संवर्ग में भर्ती आदि ऐसे प्रस्ताव थे, जो सीएजी द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन से पता चले । परन्तु अब तक आईएएंडएडी में संवर्ग समीक्षा में कोई प्रगति नहीं हुई।

विगत सात वर्षों के दौरान, भारत सरकार के अंतर्गत मुख्य विभाग जैसे केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं, प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड, उत्पाद और सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड, भारतीय रेल आदि एक बार से अधिक अपनी संवर्ग पुनर्गठन कर चुके हैं। इन संवर्ग पुनर्गठन के कारण उनके संवर्ग में उन्नति, हजारों पदों के सृजन और संबंधित विभागों में अधिकारियों और स्टाफ के उन्नति के अवसर बढ़े हैं।

सातवें वेतन अयोग की सिफारिशों में यह देखा गया कि व.प्र.अ. आईएएंडएएस में प्रवर्तन हेतु एक संभरक संवर्ग है। यह भी देखा गया कि दोनों व.प्र.अ. और आईएएंडएएस का प्रवेश स्तर वेतन जीपी 5400 (पीबी-3) है। इसलिए स.प्र.अ./प्र.अ. और व.प्र.अ. जो क्रमश: प्र.अ/व.प्र.अ. और आईएएंडएएस हेतु संभरक संवर्ग है के वेतनमान को बढ़ाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस पृष्ठभुमि में, आयोग ने स.प्र.अ., प्र.अ. और स.प्र.अ. हेतु प्रतिस्थापन वेतन स्तरों की सिफारिश की।

छठे सीपीसी ने भी यह पाया था कि व.प्र.अ. का पद आईएएंडएएस में प्रवर्तन हेतु एक संभरक संवर्ग है। आईएएंडएएस हेतु प्रवेश ग्रेड वर्तमान में 8000-13500 है जो स.प्र.अ. के वेतनमान के समान है। उनको इस वेतन मान से उन्नति देय उच्चतर स्तर में आ जाएगें जो कि उन्नति पद है । यह नियम विरूद्ध होगा अत: व.प्र.अ. के मौजूदा वेतन मान को बनाये रखना भी आवश्यक है।

हाल ही में सीएजी ने 33 1/3 के स्थान पर 50 प्रतिशत तक आईएएंडएएस के संवर्ग की उन्नति हेतु कोटा बढाने का प्रस्ताव किया है। सीएजी की ओर से एक सराहनीय प्रयास है परंतु यह स.प्र.अ./प्र.अ./व.प्र.अ. संवर्ग में स्थिरता को कम नहीं कर पाएगा। अत: हम विभाग की विस्तृत संवर्ग पुन: संरचना के लिए अनुरोध करते है। **हम विभाग में स्थिरता को समाप्त करने के लिए प्र.अ./व.प्र.अ. हेतु अलग उन्नति चैनल (गैर-आईएएंडएएस) के सृजन का भी अनुरोध करते हैं। पूर्णत: हम यह विश्वास रखते हैं कि केवल विस्तृत संवर्ग पुन: संरचना ही विभाग में अधिकतर संवर्ग वार मामलों को सुलझा सकती है।**

मांग को आधिकारिक प्रतिक्रिया

*2013 से संवर्गो में भर्ती की जा रही हैं। स.प्र.अ. संवर्ग की भर्ती सीजीएलई -2016 द्वारा एसएससी द्वारा की जा रही है। 1000 डोजियर की आवश्यकता एसएससी के पास भेजी गई है। 2013 से **60** कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, **2863** लेखापरीक्षक, **866** लेखाकार, **1426** डाटा एंट्री आपरेटर और **97** स्टेनोग्राफर्स पद भार ग्रहण कर चुके है।*

संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में, डीएआई ने एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संघ को परामर्श दिया है जिस पर समय सीमा में सभी संगठनों के विचारों के साथ गौर किया जा सकता

*है। लेखा प्रबंधक के पद के लिए **आर आर के अनुमोदन** हेतु प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। मामला वित्त मंत्रालय द्वारा देख जा रहा है। संयुक्त सचिव (का.) वित्त मंत्रालय को एक डीओ अनुस्मारक दिनांक 25.11.2016 को भेज दिया गया है।*

मांग संख्या-2: लेखापरीक्षा अधिकारियों के क्षेत्र-वार पुर्नगठन की समीक्षा।

स्पष्टीकरण:

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के अन्तर्गत लेखापरीक्षा कार्यालयों का क्षेत्र-वार पुर्नगठन का अनुपालन 01.04.2012 से प्रभावी किया गया था। यह पाया गया था कि प्रमुख और गौण शीर्षों की सूची (एलएमएमएच) जिसको प्रत्येक सेक्टर के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में वर्गीकृत किया गया, क्रियान्वयन के दौरान सख्ती से अनुपालन नहीं किया गया है। क्षेत्रीय कार्योलयों में क्षेत्र-वार पुर्नगठन लेखानियंत्रक की निचले स्तर तक के कर्मचारियों के मध्य गति प्रसारण करने में रस्सकशी का साक्षी था। यदि कुछ कार्यालयों में संसाधनों, परिसरो और कर्मियों को सहभाजन प्रमुख मुद्दे थे, कुछ अन्य कार्याल्यों को विभागों के सहभाजन से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ा था (लेखापरीक्षिती संस्थाएं)। विभिन्न राज्यों मे क्षेत्र-वार पुर्नगठन के क्रियान्वयन में समानता नहीं है।

यद्यपि, ***हमने लेखापरीक्षा कार्यालयों के क्षेत्र-वार पुर्नगठन के क्रियान्वयन की समीक्षा और त्रुटियों के परिशोधन के लिए अनुरोध किया। विभाग एलएमएमएच के आधार पर अपरिवर्ती ढ़ंग से वास्तव में वितरित किये जाने चाहिए थे। योजना को सभी कार्यालयों मे समानरूप से लागू किया जायेगा इसी आधार पर परिकल्पना की गयी थी।***

महानिदेशक (केन्द्रीय) कार्यालयों ने विभिन्न महालेखाकार कार्यालयों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के बीच गलत अवधारणाओं का सर्जन किया है। यद्यपि, इसने महानिदेशक (केन्द्रीय) कार्यालयों को समाप्त करने का अनुरोध भी किया गया था।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया

यह बताया गया था कि लेखापरीक्षा कार्यालयों का पुर्नगठन विस्तृत और अच्छी प्रकार से विचार के साथ अनुसरण किया गया था।

लेखापरीक्षिती इकाइयों एलएमएमस को ध्यान में रखते हुए कार्यालयों की विशेषज्ञता और जहां तक संभव हो कर्मचारियों की अव्यवस्था से बचाने के लिए विभाजित किया गया है। इसके

अतिरिक्त, 01.04.2014 से प्रभावी पुर्नगठन अन्तिम अवस्था में है और इस अन्तिम चरण में इस पर पुर्न विचार नहीं किया जा सकता है।

*कार्यसूची मद को **समाप्त** माना जा सकता है।*

मांग संख्याः 3 **सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के पैरा 11.12.140 के अनुसार ग्रेड पे 4800/- में उन सभी के लिए 5400 (छटे वेतन आयोग) ग्रेड पे का अनुदान।**

स्पष्टीकरण

यह नोटिस किया गया है कि उन सभी के लिए जो 4800 ग्रेड पे पर हैं 5400 ग्रेड पे के अनुदान के लिए मांग की गई थी, चार वर्ष बाद अध्याय 11.62 मे भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षक विभाग में संवर्ग के संबंध में 7वे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में मौन है। यद्यपि, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने प्रेक्षित किया था (पैरा सं. 11.12.140) कि संगठित लेखा विभागों में उन अधिकारियों को जो 4800 ग्रेड पे पर है को अलग करने का कोई ओचित्य नहीं है जबकि केन्द्रीय सचिवालय मे इसी प्रकार की व्यवस्था से अधिकारियों को रखा गया है। यद्यपि, यह सिफारिश की गयी थी कि सभी संगठित लेखा संर्वगो मे जो 4800 ग्रेड पे पर है के सभी अधिकारियों को (भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, रक्षा लेखा विभाग, भारतीय सिविल लेखा संगठन, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार), 5400 ग्रेड पे (पीबी2) पर चार वर्ष की सेवा के पूरा होने पर अर्थात वेतन स्तर 9, वेतन ढांचे में, अपग्रेड किया जाना चाहिए था।

हमने उन सभी के लिए जो 4800 ग्रेड पे पर है (छटे वेतन आयोग) चार वर्ष की सेवा के बाद 5400 करने के लिए पीबी2 में 5400 अनुदान के लिए सीएजी से अनुरोध किया।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रियाः

संघ ने बताया था कि कार्यान्वयन सेल और वित्त मंत्रालय के लिए बनायी गई सेवा के 4 वर्ष के साथ सहायक लेखापरीक्षको के लिए 5400 ग्रेड पे के अनुदान के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की प्रयोज्यता के संबंध में एक संदर्भ की पुष्टि की मांग की है। इस संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

मांग सं. 4: वरिष्ठ लेखापरीक्षकों को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के प्रति समानता प्रदान करना

स्पष्टीकरण:

केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के प्रति वरिष्ठ लेखापरीक्षकों को समानता प्रदान करना काफी समय से लंबित विषय है। हमें देश के कई न्यायालयों में समानता हेतु दायर किए गए मुकदमों में जीत मिली है किंतु अंत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले का समाधान केंद्रीय वेतन आयोग जैसे विशेष निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। तथापि, हमने 6ठें सीपीसी को आश्वस्त किया, किन्तु सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात सरकार ने सीएसएस में सहायकों के वेतन में संशोधन कर दिया। इस मामलें पर 7सीपीसी की सिफारिशों के पैरा 7.1.4 में विस्तार से चर्चा की गई थी। 7 सीपीसी द्वारा यह देखा गया कि ''सहायकों को वेतन के संबंध में अनुक्रमिक वेतन आयोग की सिफारिशों में यद्यपि आरम्भ में कार्यान्वयन कर दिया गया था, बाद में आशोधन किया गया और उन्हें एक उच्चतर स्तर पर रखा गया''। अतः आयोग ने उसके बाद सहायकों के रेंक तक क्षेत्रीय स्टाफ तथा मुख्यालय स्टाफ के बीच वेतन में समानता की दृढता से सिफारिश की है।

हम भारत के सीएजी को केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के साथ अलोप समानता को पुनः प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अनुरोध करते हैं।

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रियाः

संघ को सूचना दी गई कि 7वें सीपीसी ने पहले ही अपना मत (पैरा 11.62.17 देखे) दे दिया है कि पृथक कार्यों का निष्पादन करने वाले दो विभिन्न सेवाओं से संबंधित पदों को किसी समय पर केवल समान वेतन मान में होने के कारण समान नहीं माना जा सकता।

*अतः एजेंडा मद को **समाप्त** समझा जाए।*

मांग सं. 5: **वरिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती-लेखापरीक्षक का वरिष्ठ लेखापरीक्षक के साथ विलय तथा ग्रेड पे 4600/- प्रदान करना - पदोन्नति संबंधि अवसर में वृद्धि।**

स्पष्टीकरण:

हाल ही में, सीएजी ने एसएससी के माध्यम से वरिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्ग में भर्ती करने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। यह बताया गया कि वरिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती की योजना संवर्ग को केंद्रीय सचिवालय के सहायकों के समकक्ष लाने के लिए शुरू की जा रही है हम इस सकारात्मक पहल का स्वागत करते है।

सीएजी के अंतर्गत वर्तमान प्रणाली के अनुसार, एसएएस परीक्षा पास करने वालों को ही एएओ के संवर्ग में कैरियर उन्नति मिलेगी। इससे ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें कई वरिष्ठ लेखापरीक्षकों को उनकी पहली पदोन्नति नहीं मिलेगी, यदि वे एसएएस परीक्षा पास नहीं करेंगे। यह स्थिति स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्यास का अस्वीकरण करती है।

यद्यपि, केंद्रीय सचिवालय सेवा में भारत सरकार ने 2009 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों में आशोधन किया है। संशोधित नियमों के अनुसार, अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पदों को पचास प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से तथा पचास प्रतिशत अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में शामिल व्यक्तियों की नियुक्ति से भरा जाएगा। सहायक के ग्रेड में पचहत्तर प्रतिशत नियमित रिक्तियों को एसएससी के माध्यम से स्नातकों की सीधी भर्ती से पंद्रह प्रतिशत वरिष्ठता के माध्यम से तथा दस प्रतिशत सीमीत विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के माध्यम से भरा जाएगा।

इसलिए, यह मांग की गई कि, ***सीएजी को भी विभाग में विभन्न संवर्गो में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए ऐसी ही प्रणाली संचालित करनी चाहिए। लेखापरीक्षक/वरिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्ग के विलय तथा ग्रेड पे 4600 (6सीपीसी) देने की भी मांग रखी जाती है।***

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रियाः

संघ को सूचना दी गई कि 7वें सीपीसी को ज्ञापन प्रेषित करते समय वरिष्ठ लेखापरीक्षकों को उच्च ग्रेड पे (अर्थात 4600) देने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, उक्त को 7वें सीपीसी ने स्वीकार नहीं किया है।

यह सूचना दी गई कि वित्त मंत्रालय को वरिष्ठ लेखापरीक्षक ने पद हेतु आरआरज में संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें वरिष्ठ लेखापरीक्षक स्तर पर सीधी भर्ती के लिए प्रावधान शामिल है।

संघ को यह भी सूचना दी गई कि एएओ के पद हेतु आरआरज के अनुसार केवल एसएएस पास करने वाले कर्मचारी ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति के पात्र है।

मांग संख्या 6: पर्यवेक्षक संवर्ग-संवर्ग में दी गई अस्थायी पदोन्नति (अतिरिक्त 6%) को नियमित करना। जिन्हें पहले ही पदोन्नत किया गया है उनकी पदावनति नहीं की जानी चाहिए। अधिसंख्या पद बनाए जाए।

स्पष्टीकरण:

क्षेत्रीय कार्यालयो में पर्यवेक्षक संवर्ग की संख्या में एएओ की नियमित संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत तक पर्यवेक्षक संवर्ग में कुल संख्या लेते हुए 4 प्रतिशत की मौजूदा संख्या के अलावा एक अस्थायी उपाय के रूप में एएओ संवर्ग की संस्वीकृत संख्या के 6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी। डीएआई की बैठक में पहले ही यह सुनिश्चित किया गया कि अस्थायी आधार पर पर्यवेक्षक संवर्ग में पदोन्नत होने वालो की पदावनति नहीं की जाएगी। परन्तु कुछ कार्यालयों से अभी यह सूचित किया गया है कि एसएएस उत्तीर्ण अभ्यार्थियों में समायोजित करने के लिए इन अस्थायी रूप से पदोन्नत पर्यवेक्षकों को वरिष्ठ लेखापरीक्षकों के पद में लाया जा रहा है। पर्यवेक्षण संवर्ग को वरिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्ग में लाने से इन बेहतर अनुभवी कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होगा तथा यह उनकी सेवानिवृति पर उन्हें मानसिक तथा वित्तीय रूप से कमजोर बनाएगा।

ऐसी परिस्थितियों में, **हम पर्यवेक्षक संवर्ग में संस्वीकृत संख्या बढाकर दी गई अस्थायी पदोन्नति को नियमित करने की मांग करते है। यह मांग भी की जाती है कि जब तक सभी पदोन्नत पर्यवेक्षक जो पदावनति की आशंका के अन्तर्गत है, को अधिसंख्य - आधार पर जारी रखने की स्वीकृति होनी चाहिए।**

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया

i. *संघ को सूचित किया गया कि पर्यवेक्षक संवर्ग में संस्वीकृत संख्या को एएओ संवर्ग की कुल संख्या के 4% तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, इस कार्यालय ने पर्यवेक्षक संवर्ग में योग्य अधिकारियों की पदोन्नति करके एएओ संवर्ग के अतिरिक्त 6% पदो को उन कार्यालयों में अनुमति दी है जिनमें एएओ सवंर्ग में 15% या इससे अधिक कमी है।*

ii. *तदनुसार जब भी एएओ सवंर्ग में रिक्तियां 15% से कम होगी तो इस योजना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तथा पर्यवेक्षक के अतिरिक्त पद में कोई अन्य पदोन्नति नहीं की जाएगी।*

iii. *अधिक रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए, पर्यवेक्षक की पदावनति असंभावित है। हालांकि, यदि किसी कार्यालय से एक अधिसंख्या पद के सृजन हेतु विशेष प्रस्ताव प्राप्त किया जाए तो इसकी जांच की जाएगी।*

मांग संख्या 7: हिन्दी अधिकारी को ग्रेड पे ₹ 5400/- प्रदान करना।

स्पष्टीकरण:

6वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार, केन्द्र सरकार के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) संवर्ग से बाहर मौजूदा एकसमान पदनामित पदों को वही वेतनमान प्रदान किया गया है जो सीएसओएलएस को दिया गया था। विभिन्न मंत्रालयों, महानियंत्रक रक्षा लेखा आदि ने पहले ही उक्त आदेशो के अनुसार आधिकारिक भाषा पदों के वेतनमान को संशोधित किया तथा हिन्दी अधिकारी संवर्ग को पीबी 3 में ग्रेड पे ₹ 5400/- प्रदान किया परन्तु इसे आईएएंडएडी में लागू नहीं किया गया था।

भारत के उप सीएजी के साथ 25.07.2012 को चर्चा के दौरान यह उत्तर दिया गया कि यदि इस संदर्भ में संघ द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत किया जाएगा तो इस मामले की जांच की जाएगी। हालांकि अपेक्षित आदेश/दस्तावेजो को प्रस्तुत करने के पश्चात भी, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। ***अत: हिन्दी अधिकारी को बिना विलम्ब के ₹ 5400/- ग्रेड पे देने की मांग की जाती है।***

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को सूचित किया गया कि हिन्दी अधिकारी को ग्रेड पे ₹ 5400/- प्रस्तावित करने का उल्लेख वित्त मंत्रालय के दिनांक 09.06.2016 के मुख्यालय के पत्र द्वारा किया गया है । मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

मांग संख्या 8: विभागीय परीक्षा:-

i. एसएएस परीक्षा

ii. लेखापरीक्षा कार्यालयों में एसएएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती नियम के अनुसार उनकी पसंद के कार्यालय में तैनाती के लिये विकल्प प्रदान करने की अनुमति।

iii. सीपीडी/आरएई/प्रोत्साहन परीक्षाऐं

स्पष्टीकरण:

i. मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराऐं, नाकारात्मक अंकन योजना हटायें, उत्तीर्ण अंक को 40 करें और असीमित अवसर प्रदान करें।

ii. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के आरआर के कॉलम 10 के अनुसार, भर्ती का माध्यम पदोन्नति है ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति या ऐब्सॉर्प्शन और दोनों ही न होने पर सीधी भर्ती है।

कॉलम 11 के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति या ऐब्सॉर्प्शन क्लॉज़ निर्धारित करता है कि, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग या भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी संस्थागत लेखा केडर में केडर नियंत्रण प्राधिकरण के अंतर्गत अधिकारी जो: (i) ग्रेड पे ₹ 4800 सहित, पे स्केल ₹ 9300-34800, पे. बेंड-2 में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तैनात है; या (ii) जिन्होंने, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग या भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी संस्थागत लेखा केडर में अन्य केडर नियंत्रण प्राधिकरण के अंतर्गत अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

वर्तमान में, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों से एसएएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के किसी भी लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रतिनियुक्ति और अंतत: ऐब्सॉर्प्शन की अनुमति है। यह लाभ लेखापरीक्षा पक्ष से एएओ/एसएएस उत्तीर्ण कर्मचारियों को नहीं दिया गया है यद्यपि भर्ती नियम का कॉलम 11 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण स्टाफ को भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के किसी भी अन्य लेखापरीक्षा कार्यालय को पहली वरीयता देने की अनुमति देता है। सीएजी

कार्यालय एसएससी/यूपीएससी के माध्यम से सीधे एएओ की भर्ती भी कर रहा है जो केवल अंतिम विकल्प है जब दोनों उपरोक्त विकल्प समाप्त हो जायें। अपनी पसंद के कार्यालय में ऐब्सॉर्प्शन हेतु लेखापरीक्षा कार्यालयों से एएओ/एसएएस उत्तीर्ण कर्मचारियों को अनुमति न देना, अनुमोदित भर्ती नियम की शर्तों का उल्लंघन करना है और उन कर्मचारियों के साथ अन्याय है जिन्होने पहले ही एक तरफा अंतरण के विकल्प को अस्वीकार किया है।

इसलिये हम सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के पद हेतु भर्ती नियमावली में कॉलम 11 के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति/एब्सॉर्प्शन क्लॉज के आधार पर अपनी पसंद के किसी भी लेखापरीक्षा कार्यालय में लेखापरीक्षा वर्ग से एसएएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु मांग करते हैं।

iii. उपरोक्त परीक्षाऐं मुख्य रूप से अधिकारियों का ज्ञान अद्यतित करने और नवीनतम लेखापरीक्षा तकनीक प्रदान करने के लिये है। इसलिये, अवसरों की सीमित संख्या तर्कसंगत नहीं है। कार्य में व्यस्त दिनचर्या और परिवार के दायित्वों को पूर्ण करने के बाद अधिकारियों को तैयारी और अध्ययन हेतु बहुत सीमित समय मिलता है। फिर भी वो पूर्ण लगन और उत्साह के साथ परीक्षा देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, उनमें से कुछ, अवसर की सीमित संख्या में परीक्षा पास नहीं कर पाते। अधिकारियों को अवसरों की सीमित संख्या देने से ऐसी परीक्षाओं के आयोजन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिये ***हम सीपीडी/आरएई/प्रोत्साहन परीक्षा पास करने के लिये असीमित अवसरों की अनुमति की मांग करते हैं।***

मांग पर अधिकारिक प्रतिक्रिया:

i. *संघ को सूचित किया गया था कि एसएएस/आरएई/सीपीडी-I का डेमो टेस्ट, सीएजी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, प्रश्न पत्रों के पैटर्न से अभ्यर्थियों को परिचित कराने के लिये प्रत्येक पेपर के 3-5 प्रश्न उपलब्ध है। तथापि, डीएआई ने कहा है कि मांग की जांच की जायेगी।*

नाकारात्मक अंकन हटाने के संबंध में यह स्पष्ट किया गया था कि अनुमान के आधार पर कार्य करने के प्रयोजन को कम करने के लिये एमसीक्यू फार्मेट में सभी परीक्षाओं में

नाकारात्मक अंकन अनिवार्य है। इसलिये नाकारात्मक अंकन करना जारी रहेगा। एजेंडा मद को समाप्त समझा जाये।

अभ्यर्थियों को असीमित अवसर प्रदान करने से अभ्यर्थियों में लापरवाह दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। गैर-गंभीरता की जांच करने के लिये छह अवसर निश्चित किये गये है। इसके अतिरिक्त उन अभ्यर्थियों को चार अतिरिक्त अवसरों की अनुमति है जिन्होंने 9 पेपरों में से 5 पेपर पास कर लिये हैं। इसलिये 9 पेपर पास करने के लिये 10 अवसर पर्याप्त होने चाहिये। एजेंडा मद को समाप्त समझा जाये।

ii. *संघ को सूचित किया गया था कि आरआर के अनुसार, एसएएस परीक्षा पास करने के बाद, अधिकारी अपने केडर नियंत्रण कार्यालय में पदोन्नति हेतु पात्र हैं। 2013 में ले. एवं हक. कार्यालयों से सीधे भर्ती अभ्यर्थियों को एसएएस (लेखापरीक्षा) परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा कार्यालय में भारी संख्या में रिक्त पदों के कारण, लेखापरीक्षा कार्यालयों से एसएएस (सिविल लेखापरीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारियों को आरआर अर्थात पदोन्नति में नियुक्ति के पहले माध्यम के अनुसार उनके स्वयं के कार्यालय में पदोन्नति मिलती है। इसलिये ऐसे अधिकारियों को किसी अन्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।*

iii. *सीपीडी/आरएई/प्रोत्साहन परीक्षा में प्रत्येक में दो पेपर हैं। इसलिये दो पेपर पास करने के लिये छह अवसर पर्याप्त हैं। इसलिये अवसरों की संख्या नहीं बढ़ायी जा सकती। एजेंडा मद को समाप्त समझा जाये।*

मांग संख्या 9: यूएन लेखापरीक्षा-अकार्य दिवस को यूएन लेखापरीक्षा सहित विदेशी प्रतिनियुक्तियों पर लागू करने हेतु अनर्हता के रूप में न माना जाए।

स्पष्टीकरण:

मुख्यालय कार्यालय द्वारा यूएन और इसकी एजेंसियों की लेखापरीक्षा हेतु पैनल बनाने के लिए व.ले.प.अ., ले.प.अ. और सहा.ले.प.अ. के नामों की सिफारिश हेतु जारी दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया था कि कुछ श्रेणियों के तहत आने वाले कार्मिक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। तदनुसार, खण्ड (घ) के अंतर्गत यह उल्लेख है कि ऐसे कार्मिक जिनके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई हो/प्रशासनिक कार्रवाई की गई हो जैसे- निलंबन, अकार्य दिवस और पूर्व में आपराधिक मामले हों, वे सतर्कता/अनुशासन दृष्टिकोण से निर्दोष होने के बावजूद भी वे पात्र नहीं हैं।

मुख्यालय द्वारा अकार्य दिवस के लिए स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिसके कारण कई अधिकारी चयन परीक्षा में भाग नहीं ले सके। अकार्य दिवस केवल मामूली गलती के लिए लगाई जाने वाली बहुत छोटी पेनाल्टी है। ***अत: हम अकार्य दिवस को यूएन लेखापरीक्षा सहित विदेशी प्रतिनियुक्तियों पर लागू करने हेतु अनर्हता के रूप में न माने जाने का अनुरोध करते हैं।***

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को बताया गया कि अकार्य दिवस ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर प्रशासन द्वारा की गई एक पैनल कार्रवाई है और इसे यूएन लेखापरीक्षा के कार्यभार हेतु अपात्रता के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है।

*एजेंडा मद को **समाप्त** समझा जाए।*

मांग संख्या 10: एकपक्षीय स्थानांतरण को बहाल करना।

स्पष्टीकरण:

नए रंगरूट आईएएण्डएडी छोड़कर अपने गृह-राज्यों में केवल इसलिए इससे कम प्रोफाइल की नौकरी ज्वॉइन कर रहे क्योंकि एकपक्षीय स्थानान्तरण पर रोक लगी है। इस प्रकार आईएएण्डएडी से संसाधन और प्रयास बेकार जाना (मुख्यालय कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय दोनों में) एक राष्ट्रीय क्षति है। डोजियर्स/अभिलेखों संवीक्षा पर किया जाने वाला श्रम, डाक व्यय, नए रंगरूटों के प्रशिक्षण आदि पर किया जाने वाला व्यय एवं समय अनुत्पादक हो जाता है, जब वे अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही नौकरी छोड़ देते हैं। जो लोग विभाग छोड़कर जाते हैं वे खिन्न और निरूत्साहित हैं क्योंकि उन्हें अपने गृहनगर पहुँचने की उम्मीद ही नहीं है। रोक हटाने से नए रंगरूटों का मनोबल एवं आत्मविश्वास बढ़ेगा। अत: ***हम सीएजी से चरणबद्ध तरीके से एकपक्षीय स्थानान्तरण पर से रोक हटाने का अनुरोध करते हैं ताकि श्रमबल की कमी को रोका जा सके तथा नए रंगरूटों को निकट भविष्य में अपने गृहनगर लौटने की उम्मीद/मौका मिल सके।***

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को बताया गया कि आईएएण्डएडी के भीतर और आईएएण्डएडी में मंत्रालयों/विभागों से एकपक्षीय स्थानांतरण 1997 से बंद कर दिया गया था। आगे यह भी बताया गया कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों की श्रमबल उपलब्धता में भी भारी अंतर आएगा। डीएआई ने कहा कि एकपक्षीय स्थानांतरण योजना को फिर से शुरू करना उचित नहीं होगा।

*एजेंडा मद को **समाप्त** समझा जाए।*

मांग सं. 11: डीईओज को लेखापरीक्षक संवर्ग के लिए पदोन्नति की अनुमति

स्पष्टीकरण:

इस मामले पर 13-11-2014 को डीएआई के साथ एजेंडा बैठक में चर्चा की गई थी। यह बताया गया था कि ''लेखापरीक्षक/ लेखाकार के पद हेतु प्रस्तावित भर्ती नियमों के अनुसार डीईओज परीक्षा कोटा के अंतर्गत लेखापरीक्षक/लेखाकार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे''। किंतु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी उक्त को मूर्त रूप नहीं दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों में, तीन वर्षों की सर्विस वाले एमटीएस को लेखापरीक्षकों हेतु लिमिटेड विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। उनमे से कई ने परीक्षा पास भी कर ली है और उन्हें लेखापरीक्षकों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है जबकि पांच वर्षों से अधिक की सर्विस वाले डीईओज को परीक्षा देने का मौका नहीं मिल सका था तथा उनकी पदोन्नति नहीं हुई थी। अत: ***हम 13-11-2014 को डीएआई द्वारा दिए गए वचन को बिना विलंब पूरा करने का अनुरोध करते है।***

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को सूचना दी गई कि परीक्षा कोटा के तहत् लेखापरीक्षकों के पद हेतु डीईओज की पदोन्नति के संबंध में आरआरज में संशोधन कार्य चल रहा है तथा आरआरज की अधिसूचना पर डीईओज लेखापरीक्षकों हेतु विभागीय परीक्षा देने हेतु पात्र बन जाएंगे।

मांग सं. 12: स्पोर्ट्स कोटा भर्ती-भर्ती सूची में वॉलीबाल के खेल को भी शामिल करना।

स्पष्टीकरण:

सीएजी द्वारा उचित उत्कृष्ट स्पोर्ट्स/खेल कार्मिक की स्थानीय भर्ती के लिए अनुमति दी गई थी। पांच सूचीबद्ध वर्ग अर्थात क्रिकेट, फुटबाल, बैड़मिंटन, हॉकी तथा टेबिल टेनिस में पिछले पांच वर्षों के दौरान कई कर्मचारी भर्ती किए गए थे। जब 13-11-2014 को डीएआई के साथ पिछली बैठक में वॉलीबाल में भर्ती की मांग उठाई गई थी तब यह उत्तर दिया गया था कि ''वर्ग का चयन जिसमे क्षेत्रीय कार्यालय भर्ती करना चाहता है। क्षेत्रीय कार्यालय पर निर्भर करता है और यह क्षेत्रीय कार्यालय ही है जो मुख्यालय को प्रस्ताव भेजता है कि किस स्पोर्ट पर विचार एवं उसका अनुमोदन किया जाए। तथापि यह सहमति हुई कि क्षेत्रीय कार्यालयों को एक अतिरिक्त वर्ग चुनने की अनुमति देने की मांग, जिसमें भर्ती बोर्ड द्वारा स्थानीय टैलेंट पर विचार किया जा सकता है। किंतु यह देखा गया कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी एक अतिरिक्त वर्ग चुनने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुमति देने हेतु मुख्यालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। ***हम डीएआई द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में बिना विलम्ब क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचना देने का अनुरोध फिर से करते है।***

मांग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को सूचना दी गई कि स्पोर्ट्स कोटा पर विभाग की अनुमोदित नीति के अनुसार केवल पांच वर्गों (क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, टेबल टेनिस तथा बैडमिंटन) में भर्ती को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कुछ चयनित स्पोर्ट को बढ़ावा देना है। अत: भर्ती सूची में बॉलीबाल को शामिल करने की मांग व्यवहार्य नहीं है।

*एजेंडा मद को **समाप्त** समझा जाए।*

माँग सं. 13: झारखंड तथा पश्चिम बंगाल कार्यालय में स्थानीय निधि लेखापरीक्षा का सिविल लेखापरीक्षा के साथ विलय

स्पष्टीकरण:

स्थानीय निधि लेखे की लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पृथक स्थानीय लेखापरीक्षा खंड भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के अन्तर्गत तीन राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, बिहार तथा झारखंड में प्रचालन में है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, रांची के कार्यालय में स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (एलएफए) निरीक्षक (तथापि कैडर नियंत्रण प्राधिकरण पीएजी/एजी है) की अध्यक्षता में अभी भी एक पृथक सत्तव है। परन्तु बिहार में, एलएफए का सिविल लेखापरीक्षा खंडो के साथ विलय किया गया है। एलएफए में पदोन्नति संबंधी अवसर सिविल खंड से ज्यादा बेहतर है, इसलिए इस खंड में अधिकांश कनिष्ठ एएओज को एओ के पद पर पदोन्नति सिविल खंड में उनके तद्रूप से काफी पहले दी गई थी। एसएस-I एवं एसएस-II खंडों को 2012 में सीएजी द्वारा जारी नवीनीकरण दिशानिर्देशों के अनुसार सिविल लेखापरीक्षा के एलएफए में विलय के द्वारा निर्मित किया गया था, परन्तु दोनों खंडो में कैडरों का विलय नहीं किया गया था। अत: एलएफए से कम लेखापरीक्षा अनुभव वाले कनिष्ठ अधिकारी अब इन खंडों में लेखापरीक्षा दलों का नेतृत्व कर रहे हैं। यह अधिक अनुभवी वरिष्ठ एएओज के लिए काफी समस्याएं बना रहा है। यह भी सत्य है कि दोनो खंड (एलएफए तथा सिविल) संयुक्त प्रयासों के साथ लेखापरीक्षा कर रहे है। अत: ***एलएफए खंड का सिविल खंड के साथ विलय तथा एक ग्रेडेशन/वरिष्ठ सूची बनाई जाने के लिए माँग की गई है।***

माँग पर आधिकारिक प्रतिक्रिया:

संघ को सूचना दी गई थी कि एलएडी कैडर की संस्वीकृत संख्या सिविल खंड से अलग है ताकि नियुक्ति तथा पदोन्नति पृथक रूप से की जा सके। स्थानीय लेखापरीक्षा पर पृथक पेपर एलएडी कैडर में पदोन्नति/समावेश के लिए अधिकारियों द्वारा पारित किया जाना है। मामले की जल्दी जाँच की जाएगी।